न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—195/2021/225 (2021/195)

1. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर (केकड़ी) तहसील सावर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती कमलादेवी पत्नि मदनलाल, जाति रेगर, निवासी भाण्डावास, हाल सावर, तहसील सावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 23.9.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 22/2019.

उपस्थितः—

1. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता वकील अपीलांटस ।
2. श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 24.12.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 23.9.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांटस के पेश कर कथन किया कि ग्राम सावर तहसील सावर स्थित आराजी खाता संख्या 108 के खसरा नंर 1979 रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 1983 रकबा 0.53 है0, खाता संख्या 111 के खरा नंबर 1984 रकबा 0.59, खसरा नंबर 1991 रकबा 0.59 है, खाता संख्या 104 के खसरा नंबर 1974 रकबा 0.58 है0, खसरा संख्या 1992 रकबा 0.23 है0 व खाता संख्या 105 के खसरा नंबर 1991/5716 रकबा 0.38 है0, खसरा संख्या 1994 रकबा 0.18 है0, खसरा नंबर 1995 रकबा 0.57 है0 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थिया है एवं खसरा संख्या 1985 रकबा 1.27 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 1 जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नंबर 1985 की एवं वर्तमान प्रार्थिया के खसरा संख्या 1984 की मेड़ एक ही है । अर्थात् दोनों खसरा की मेड़ मिली हुई है । प्रार्थीया के खतों में आने जाने एवं काश्त करने फसल लाने ले जाने का कोई रास्ता नहीं है । प्रार्थीया अपने खेतों मे खसरा नंबर 1985 से आवागमन करता है एवं प्रार्थिया का आवासीय मकान भी वही पर बना हुआ है किन्तु यह रास्ता नक्शा ट्रेस में अंकित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 इस रास्ते से प्रार्थिया को आने जाने व उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

आराजी पर साधन आदि ले जाने में बाधा उत्पन्न करता है । प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.7.2016 को खारिज कर दिया था जिसके विरूद्ध मान0 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में अपील की गई । मान0 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने निर्णय दिनांक 9.1.2019 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया । मान0 न्यायालय के निर्णय की पालना में अधी0न्याया0 ने दिनांक 23.9.2020 को प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेस्पो0 की आराजी खसरा संख्या 1983 जो कि खसरा संख्या 1982, 1981 एवं खसरा संख्या 1980 के सटा हुआ है एवं खसरा संख्या 1982, 1981 व 1980 में कॉलोनी बनी हुई है जिसमें कई आम रास्ते दिए गऐ है जो कि खसरा संख्या 1983 जो कि रेस्पो0 संख्या 1 की भूमि है तक जाते है जिससे रेस्पो0 संख्या 1 आम रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करता आ रहा है । रेस्पो0 द्वारा पूर्व में भी उसकी भूमि के आवागमन हेतु विद्यालय खेल मैदान में से रास्ता चाहने बाबत् अधी0न्याया0 के समक्ष अपील संख्या 6/2013 पेश कि थी जिसे अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 11.7.2016 पारित कर अपील पोषणीय नही होने से खारिज की थी । अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र में वादी ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि वादी के आवागमन हेतु विद्यालय खेल मैदान के अलावा और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है किन्तु वादी के खसरा संख्या 1983 जो कि खसरा संख्या 1982, 1981 व 1980 से सटा हुआ है एवं जिनमें कॉलोनी बनी होकर कई आम रास्ते दिये गये है जिससे वादी आता जाता है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.9.2020 को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । तहसीलदार ने केवल खसरा संख्या 1985 जो कि विद्यालय भूमि है उसका एवं वादी की भूमि का ही अवलोकन किया है जबकि खसरा नंबर 1982, 1981 व 1980 का भी मौका मुआयना किया जाना था । उक्त खसरा संख्या में जो कॉलोनी मौजूद है उसमें आम रास्ते उपलब्ध है । अधी0न्याया0 के आदेश से विद्यालय खेल मैदान के पृथक–पृथक हिस्से हो जावेगें जिससे उक्त भूमि खेल मैदान हेतु उपयोग में नहीं आ सकेगी। अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर कोई विचार किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.9.2020 की प्रथम बार जानकारी दिनांक 1.3.2021 को तब हुई जब तहसीलदार द्वारा उनका पत्र दिनांक 26.2.2021 को प्रधानाचार्य राउमावि सावर को प्रेषित कर उक्त निर्णय की पालना हेतु लिखा गया । तत्पश्चात् उक्त निर्णय के संबंध में उच्च अधिकारियों को सूचना प्रेषित करने बाबत् तहसीलदार को पत्र लिखा गया । चूंकि विद्यालय एक राजकीय विद्यालय है । विद्यालय संस्था द्वारा सीधे ही अधी0न्याया0 के निर्णय के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती है । निर्णय के संबंध में निदेशालय एवं शासन सचिवालय से अपील के संबंध में निर्णय लिये जाने के उपरांत ही अपील पेश की जा सकती है । तत्पश्चात् उच्च कार्यालयों

से अपील पेश किये जाने हेतु पत्राचार किया गया । तत्पश्चात् अनुमति उपरांत जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविव है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांटस ने अपील मियाद बाहर पेश की है तथा विलंब के भी समुचित कारण अंकित नहीं किये है । अतः अपील मियाद बाहर पेश किये जाने से खारिज की जावे । गुणावगुण पर बहस में कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अधी0न्याया0 ने खसरा संख्या 1985 में से रास्ते के आदेश प्रदान किये है । तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि खसरा नंबर 1985 में मौके पर रास्ता बना हुआ है जिसका उपयोग प्रार्थी आने जाने हेतु कर रहा है । मौका स्थिति को देखते हुए प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यंत आवश्यक है । उक्त रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता दिये जाने का विकल्प संभव नहीं है । तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजियात में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है । अधी0न्याया0 ने विस्तृत मौका रिपोर्ट तलब कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 1999 पार्ट–6 पेज 426, आर0बी0जे0 2010 (17) पेज 289, आर0आर0टी0 2017 पार्ट–1 पेज 33, आर0आर0टी0 2007 पार्ट–2 पेज 788, आर0आर0टी0 2007 पार्ट–1 पेज 559 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी खातेदारी आराजी खाता संख्या 108 के खसरा नंर 1979 रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 1983 रकबा 0.53 है0, खाता संख्या 111 के खरा नंबर 1984 रकबा 0.59, खसरा नंबर 1991 रकबा 0.59 है, खाता संख्या 104 के खसरा नंबर 1974 रकबा 0.58 है0, खसंरा संख्या 1992 रकबा 0.23 है0 व खाता संख्या 105 के खसंरा नंबर 1991/5716 रकबा 0.38 है0, खसरा संख्या 1994 रकबा 0.18 है0, खसरा नंबर 1995 रकबा 0.57 है0 में आवागमन हेतु अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 1985 रकबा 1.27 है0 में रास्ते का अनुतोष चाहा है । अपीलांटस ने अपने अपील मीमों में कथन किया है कि अपीलांटस की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1983 के लगवा खसरा संख्या 1982, 1981 व 1980 स्थित है जिसमें कॉलोनी बनी हुई है जिसमें कई आम रास्ते दिए गए है जो कि खसरा नंबर 1983 की भूमि तक जाते है तथा प्रार्थी उक्त आम रास्तो का उपयोग उपभोग अपने खातेदारी की आराजी तक पहुंचने हेतु करता आ रहा है । उक्त तथ्य बाबत् तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में कोई अंकन नहीं किया गया है । अपीलंट के उक्त तथ्यों की पुष्टि के कम में कि क्या खसरा नंबर 1982, 1981 व 1980 में स्थित रास्ते

प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी खसरा संख्या 1983 तक जाते है इस बाबत् हम तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष की मौजूदगी में पुनः मौका निरीक्षण कराया जाना उचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.9.2020 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिपेषित किया जाता है कि वे अपीलांटस की आराजी खसरा नंबर 1985 के साथ–साथ अन्य खसरा नंबर 1982, 1981 व 1980 के संबंध में भी तहसीलदार से उभयपक्ष की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर